



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>  
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859  
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3158 / SEIAA/2022

Date: 26/2/22

प्रति,

श्री रवि कुमार चन्द्रवंशी,  
निवासी ग्राम कंटगी, पोस्ट राजोला,  
जिला सिवनी, (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र. 8249/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री रवि कुमार चन्द्रवंशी, निवासी ग्राम कंटगी, पोस्ट राजोला, जिला सिवनी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 9994 घन प्रतिवर्ष, रकबा 1.450 हेक्टेयर, खसरा 210, ग्राम चारगांव, तहसील कुरई, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 705 वी बैठक दिनांक 15.2.2022 को निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 678वी बैठक दिनांक 12.07.2021 में निर्णय लिया गया....

.....After detailed discussion and deliberation, it was decided that write a letter to the Collector, Seoni for constitution of committee comprising of Mining Officer and Revenue Officer of District - Seoni to carry out the site inspection to verify the status of other sanction & operated mines falling within 500 m periphery of the proposed mine. The committee shall submit a report through Collector, Seoni within 15 days. Copy to PP.

In context of above, it is decided to send a letter to Collector, Rewa to constitute a team of Mining Officer & Revenue Officer for site inspection to assess the present clustering status of the mine site in view of the above discrepancy and appraisal of status of cluster of other sanctioned & operating mines within the 500 m periphery of the proposed mine and submit a report to MPSEIAA within 15 days. Copy to PP.

परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित विभाग से चाही गई उपरोक्त जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः प्रकरण को डिफिलिस्ट किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार अपका का प्रकरण Delist किया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3159 / SEIAA/2022  
प्रतिलिपि:-

दिनांक - 26/2/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सिवनी (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - सिवनी (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - सिवनी (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी